राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.10 (698) परि/स.सु./चिकित्सा/2015/पार्ट V/6117 जयपुर, दिनांकः–18/3/2020

कार्यालय आदेश 12 /2020

कोरोना वायरस जनित कोविड–19 बीमारी को निष्प्रभावी करने तथा आमजन के बचाव के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2009, दिनांक 02.02.2009 के परिपेक्ष्य में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. चालक लाईसेंस लेने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को लर्निंग लाईसेंस जारी करने से पूर्व यातायात नियमों की जानकारी का टेस्ट जो कि कम्प्यूटर टच स्क्रीन पर लिया जाता है उसके उपयोग हेतु विभाग की ओर से एक सहायक यथा परिवहन निरीक्षक/परिवहन उप निरीक्षक/सूचना सहायक नियुक्त किया जावे जो कि आवेदक द्वारा टेस्ट के दौरान दिए गए विकल्प को टच स्क्रीन कियोस्क पर बटन दबाकर दर्ज करेगा। इस हेतु आवेदकों को सहयोग करने वाले कार्मिकों को उचित मानक युक्त मास्क लगाया जावे एवं हाथ में दस्ताने पहनने की व्यवस्था की जाए। किसी भी परिस्थिति में आवेदकों को टच स्क्रींग छूने की अनुमति नहीं दी जावे।
2. लाइसेंस बनाने के लिए आने वाले आवेदकों के लिए पर्याप्त मात्रा में सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए।
3. परिवहन कार्यालय परिसर में एक ही स्थान पर अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित ना हो इसकी कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूलों द्वारा जारी किये जाने वाले लर्निंग लाईसेंस के संबंध में संचालक द्वारा संक्रमण से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूचना को कार्यालय परिसर में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करे।

अतः समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की अग्रीम आदेश तक अक्षरशः पालना करते हुए, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में मय फोटोग्राफ व वीडियो (लगभग 1 मिनिट अवधि), ई मेल आई.डी. –addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांकः प.10 (698) परि/स.सु./चिकित्सा/2015/पार्ट V/6118-25 जयपुर, दिनांकः– 18/3/2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिति है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
7. सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (स.सु.)